

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR


Endorsement No. C/4342 Jabalpur, dated 03.11.2016.

III - 6-4/10

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.17(E)44/2013/21-B(One)/3746, 3747/2016, Bhopal, dated 01.11.2016 as per the provisions of Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information.
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Bhopal, Datia, Dewas, Harda and Mandasaur for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

03.11.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)



अधिसूचना

भोपाल दिनांक 1-10-2016

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/ 3746, 3747/2016 - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 9, 10, 15, एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
5.	भोपाल	श्री शशिभूषण पाठक, दशम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल
9.	दतिया	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया
10.	देवास	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास
15.	हरदा	श्री विजय कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा
22.	मंदसौर	श्री रामलाल यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें।


02 NOV 2016
 REGISTRAR GENERAL
 HIGH COURT OF M.P.
 JABALPUR
 (S.D.L.D.)

पृ.क्र. 17(ई)44/2013/21-ब(एक) 3746, 3747/2016.

भोपाल, दिनांक 1-10-2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर उनके जापन क्रमांक B/4666, 4667/III-6-4/10, दिनांक 03.10.2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नाथ ब्लाक, नई दिल्ली.
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, दलिया, देवास, हरदा एवं मंदसौर, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल.
की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित) .
6. शाखा प्रभारी, आ.प.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(आर.के. वाणी)
1.10.16
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 17(ई)44/2013/21-ब(एक) 3746, 3747/2016,

भोपाल, दिनांक 1-11-2016

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर उनके जापन क्रमांक B/4666, 4667/III-6-4/10, दिनांक 03.10.2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, दतिया, देवास, हरदा एवं मंदसौर, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(आर. के. वाणी)
1-11-16
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग